

विषय-सूची			
क्र. सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
1.	प्राक्कथन		v
2.	कार्यकारी सारांश		vii
<b>अध्याय-1: परिचय</b>			
3.	उत्तराखण्ड की वन रूपरेखा	1.1	1
4.	उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के लक्ष्य और उद्देश्य	1.2	2
5.	संगठनात्मक व्यवस्थाएँ	1.3	2
6.	लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली	1.4	4
7.	लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.5	5
8.	लेखापरीक्षा मानदंड	1.6	5
9.	पूर्व प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष	1.7	6
10.	स्वीकारोक्ति	1.8	7
11.	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	1.9	7
<b>अध्याय-2: वन भूमि का व्यपवर्तन</b>			
12.	नोडल अधिकारी के स्तर पर कमियाँ	2.1	10
13.	अनधिकृत अनुमोदन	2.1.1	10
14.	वन्यजीव शमन योजना के लिए निधियाँ एकत्र न किया जाना	2.1.2	11
15.	क्षतिपूरक भूमि को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में घोषित न किया जाना	2.1.3	11
16.	सैद्धांतिक स्वीकृति निरस्त न किया जाना	2.1.4	12
17.	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु लैंड बैंक का सृजन न किया जाना	2.1.5	12
18.	प्रभागीय वन अधिकारियों के स्तर पर कमियाँ	2.2	13
19.	वन भूमि का अनधिकृत उपयोग	2.2.1	14
20.	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन पी वी) की लागत की कम वसूली	2.2.2	14
21.	निष्कर्ष	2.3	16
22.	अनुशंसाएँ	2.4	16
<b>अध्याय-3: योजना</b>			
23.	वार्षिक कार्य योजना	3.1	17
24.	वार्षिक कार्य योजना तैयार करने में विलंब	3.1.1	17
25.	वार्षिक कार्य योजना की तैयारी में कमियाँ	3.1.2	18

क्र. सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
26.	खराब योजना/दोषपूर्ण वार्षिक कार्य योजना का प्रभाव	3.1.3	20
27.	एकीकृत वन चौकी का निर्माण	3.1.4	30
28.	निष्कर्ष	3.2	31
29.	अनुशंसाएँ	3.3	31
<b>अध्याय-4: राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन</b>			
30.	वित्तीय प्रबंधन मुद्दे	4.1	33
31.	राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि से विचलन/अस्वीकार्य व्यय	4.1.1	34
32.	लेखांकन प्रक्रिया अपनाने में त्रुटियाँ	4.1.2	37
33.	राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि में ब्याज देनदारी का निर्वहन करने में विफलता	4.1.3	37
34.	निधियों का मनमाना/असमान वितरण	4.1.4	38
35.	निधियों को अवमुक्त करने में वित्तीय अनुशासनहीनता	4.1.5	40
36.	निष्कर्ष	4.2	41
37.	अनुशंसाएँ	4.3	42
<b>अध्याय-5: क्षतिपूरक वनीकरण गतिविधियों का कार्यान्वयन</b>			
38.	बर्ड डिफ्लेक्टर्स का अभाव	5.1	44
39.	क्षतिपूरक वनीकरण में विलम्ब के कारण लागत वृद्धि	5.2	44
40.	वृक्षारोपण की कम जीवितता	5.3	45
41.	वृक्षारोपण से पूर्व खराब अग्रिम मृदा कार्य	5.4	46
42.	क्षतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त भूमि का चयन	5.5	46
43.	वृक्षारोपण का खराब रख-रखाव	5.6	50
44.	क्षतिपूरक वनीकरण भूमि में दोहरेपन के कारण संदिग्ध व्यय	5.7	51
45.	प्राप्त क्षतिपूरक वनीकरण भूमि के सापेक्ष अधिक वृक्षारोपण पर अनधिकृत व्यय	5.8	52
46.	सूचित किये गये क्षेत्र से कम क्षेत्र में वृक्षारोपण के कारण संदिग्ध व्यय	5.9	53
47.	₹ 1.87 करोड़ का अतिरिक्त भार	5.10	55
48.	निष्कर्ष	5.11	55
49.	अनुशंसाएँ	5.12	55

क्र. सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
<b>अध्याय-6: आंतरिक नियंत्रण प्रणाली</b>			
50.	दस्तावेजीकरण	6.1	57
51.	कर्तव्यों का पृथक्करण	6.2	58
52.	मिलान	6.3	59
53.	निरीक्षण और मूल्यांकन प्रणाली	6.4	60
54.	खराब अनुश्रवण तंत्र	6.5	61
55.	अप्रभावी निगरानी	6.6	63
56.	निष्कर्ष	6.7	64
57.	अनुशंसा	6.8	65
<b>परिशिष्ट</b>			
परिशिष्ट-2.1	लेखापरीक्षा अवधि (2019-22) के दौरान जनपद वार व्यपवर्तित भूमि का विवरण		67
परिशिष्ट-3.1	मांग के सापेक्ष अनुमोदन का विवरण (2019-22 के दौरान)		68
परिशिष्ट-4.1	प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि से अस्वीकार्य व्यय का विवरण		71
परिशिष्ट-6.1	प्रबंधन सूचना प्रणाली और प्राधिकरण लेखाओं के मध्य व्यय के आँकड़ों में अंतर		73
परिशिष्ट-6.2	ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में अपलोड किए गये पॉलिगन में त्रुटियों का विवरण		74
<b>शब्दावली</b>			77

